भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2767
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

अकार्यशील ग्राम न्यायालय

2767. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :
श्री चंद्र शेखर साहू :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :
श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या विभिन्न राज्यों में अनेक अधिसूचित ग्राम न्यायालय कार्य नहीं कर रहे हैं ;
(ख) यदि हां, तो इन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के कोने-कोने में ग्राम न्यायालयों के कार्य नहीं करने के क्या कारण हैं ;
(ग) क्या सरकार ने इन्हें शीघ्र आरंभ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी हां, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अनुसार, 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 477 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें से 265 ग्राम न्यायालय 10 राज्यों में कार्य कर रहे हैं । राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी है किंतु अधिनियम राज्यों के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना को आज्ञापक नहीं बनाता है । राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ग्राम न्यायालयों के न चलने का मुख्य कारण कई राज्यों में न्यायाधिकारी के पद का न भरना, लोक अभियोजकों, नोटरी की अनुपलब्धता और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों की साधारणतया कमी है जो इन ग्राम न्यायालयों को चलाते हैं । इसके अतिरिक्त, नियमित न्यायालयों के साथ एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में अधिकारिता होना अन्य कारण है जिसके कारण यह स्कीम नहीं चल पा रही है । इसके अतिरिक्त, अनेक राज्यों में पंचायत के स्तर पर ग्राम न्यायालयों की उनकी स्वयं की एक स्वतंत्र प्रणाली है ।

(ग) और (घ) : अधिसूचित ग्राम न्यायालयों को कार्यशील बनाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों/उच्च न्यायालयों के साथ नियमित पत्राचार किया जाता है। न्याय विभाग की केन्द्रीय स्तरीय

मॉनीटरी समिति की नियमित बैठकों के दौरान राज्यों को नियमित रुप से अधिसूचित ग्राम न्यायालयों के प्रचालन में तेजी लाने का भी स्मरण कराया जाता है ।

****